FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

धन्नाराम बगोरा बनाम भैराराम बगोरा

किस्म मुकदमा रा० आ० O.9 R13 CPC नं. 140/17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/04/17	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा O. 9 R. 13 CPC राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 8/5/17 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
08/05/17	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुन: प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली कार्यवाही दिनांक 29/05/2017 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/05/17	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार - 2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कानोड़ में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 1 माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया, विप्रार्थीगण स्वयं या उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुए कैम्प कोर्ट में 3 बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र 151 CPC पेश कर O-9-R-13 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

में प्राथमिक डिग्री के साथ-साथ दिनांक 19/05/17 को जारी अन्तिम डिग्री को भी प्रपारित किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रार्थी वकील की बहस सुनी व प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

मुत. पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14/06/17 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

14/06/17

पत्रावली आज न्यायालय कैम्प कार्ट-2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रतेऊ में रखी गई प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली मुकम्मल शुमार हो, दर्ज नम्बर के क्रम हो मूल पत्र के संलग्न रहे।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री हेताराम चौहान, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 140/2017

प्रार्थी

1. धन्नाराम पुत्र आईदानराम
2. करनाराम पुत्र आईदानराम
3. भारमलराम पुत्र आईदानराम
4. मालाराम पुत्र आईदानराम
5. हीराराम पुत्र आईदानराम फौत कै कायम मुकाम
   5/1. खेताराम पुत्र हीराराम
   5/2. गिरधारीराम पुत्र हीराराम
   5/3. पेम्पोंदेवी पत्नी हीराराम
   प्रार्थी संख्या 5/1 व 5/2 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता पेम्पों पत्नी हीराराम
6. गोरधनराम पुत्र नैनाराम
7. जेठी पत्नी नैनाराम
8. गेनाराम पुत्र नैनाराम
9. धन्नाराम पुत्र भैराराम
   जति जाट निवासी उगरोणियों की ढाणी, शहर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी

1. भैराराम पुत्र हरजीराम
2. मोटाराम पुत्र सोनाराम
3. देदाराम पुत्र तेजाराम
4. रूपाराम पुत्र तोजराम
5. लिखमाराम पुत्र तेजाराम
6. खेताराम पुत्र तेजाराम
7. देराजराम पुत्र देदाराम
8. निम्बाराम पुत्र देदाराम
9. बालाराम पुत्र देदाराम
10. खुमाराम पुत्र देदाराम
11. राणाराम पुत्र लालाराम
12. मोटाराम पुत्र चिमाराम
13. चैनारांम पुत्र चिमाराम
    जाति जाट निवासी उगरोणियों की ढाणी, शहर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
14. मैनेजर जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सवाउ पदमसिंह
15. तहसीलदार, गिड़ा

(मुहर: सहायक कलक्टर (SDO) बायतु)

<u>आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत् राजस्व वाद संख्या 55/2015 अनवान् भैराराम बनाम गैनाराम में विद्वान सहायक कलेक्टर बायतु द्वारा पारित एक पक्षीय प्राथमिक डिकी दिनांक 27.02.2017 व अन्तिम डिकी दिनांक 19.05.2017 निरस्त करने व जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान करने।</u>

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

उपस्थिति :- 1. श्री खेताराम जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से

दिनांक : 14-06-2017

आदेश

प्रार्थीगण ने सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2015 अनवान् भैराराम बनाम गैनाराम वगैरा में पारित एक पक्षीय प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.02.2017 को निरस्त कर मूल वाद को जवाबदावा की स्टेज पर कायम करने हेतु इस न्यायालय में पेश किया है।

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा उगरोणियों की ढाणी पटवार मण्डल शहर तहसील गिड़ा में वादग्रस्त आराजी ख.नं. 224 रकबा 17.09 बीघा, खं. नं. 247 रकबा 383.16 बीघा, खसरा नम्बर 239 रकबा 00.10 बीघा, खं. न. 240 रकबा 00.05 बीघा, खं. नं. 241 रकबा 00.10 बीघा, खं. नं. 242 रकबा 00.09 बीघा, खं.नं. 243 रकबा 00.05 बीघा, खं.नं. 244 रकबा 01.02 बीघा, खं.नं. 245 रकबा 00.15 बीघा, खं.नं. 246 रकबा 00.14 बीघा कुल रकबा 405.15 बीघा पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी में आई हुई है। वादी भैराराम ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस आराजी में पक्षकारान् के खातेदारी हिस्से निम्न प्रकार घोषित कर वादी सं. 1 का 1/9 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/9 हिस्सा तथा वादी सं. 3 से 6 प्रत्येक का 1/36-1/36 हिस्सा घोषित कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजित किया जाये।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु सत्यमेव जयते

प्रार्थीनीगण का आवेदन आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई अदालत हाजा स्वयं या उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुए। फलतः समस्त विप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्रवाही के आदेश पारित कर, प्रार्थीगण के विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विलम्ब के उप शमन पर विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा पेश अलग से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए कहा कि उक्त वाद के सम्बन्ध में जारी सम्मन प्रार्थीगण को कभी प्राप्त नहीं हुए तथा न ही प्रार्थीगण को उक्त वाद में आज पूर्व कभी जानकारी हुई तथा प्रार्थीगण वकिल द्वारा बताया गया कि प्रार्थीगण भी

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उक्त वादग्रस्त भूमि के रैकर्ड खातेदार है तथा उन्हे भी सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है तथा अपने कथन के समर्थन में 2008 (2) आर.आर.टी. 1406 व 2009 आर.आर.टी. 467 के उद्वरण प्रस्तुत किये व निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपना आवेदन वास्तविक ज्ञान की तारीख से अदंर मियाद पैश किया है अतः न्याय हित में विलम्ब का सम्मन किया जायें।

आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी व आवेदन धारा 5 परिसीमा अधिनियम का कोई विरोध नहीं किया तथा प्रार्थीगण की ओर से वास्ते दौराने आवेदन के विचाराधीन रहते अन्तिम डिक्री को निरस्त करने का एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया। तथ्यों के आधार पर आवेदन अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

एक पक्षीय डिक्री को निरस्त करने के सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनने व पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने पर पाया कि प्रार्थीगण को बिना किसी विधिक कारण के वंचित नहीं किया जा सकता है।

इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 स्वीकार जाता है तथा वाद संख्या 55/2015 अनवान् भैराराम वगैरा बनाम गैनाराम वगैरा में पारित एक पक्षीय प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.02.2017 व अन्तिम डिक्री दिनांक 19.05. 2017 को निरस्त की जाती है तथा मूल वाद में प्रार्थीगण के जवाबदावे की स्टेज पर पुनः नम्बर पर लिया जाकर, अग्रिम कार्यवाही की जावें।

आदेश आज दिनांक 14-06-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(हेताराम चौहान)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु